

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु० ३०-४ (मु०) राज्य योजना-०३-४७७ / २०१८

/पटना, दिनांक—

प्रेषक,

संजय कुमार भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुंगेर के अधीन धरहरा प्रखंड के माता डीह पंचायत के अन्तर्गत अमानत से लकड़ी आहार (आदिवासी टोला) तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.८५० मी० निर्माण हेतु रु० ६७.३१ लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि ५.३४ लाख अर्थात् कुल राशि ७२.६५ लाख (बहतर लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय— 103—ग्राम विकास—राज्य योजना—उप शीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में बिहार राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुंगेर के अधीन धरहरा प्रखंड के माता डीह पंचायत के अन्तर्गत अमानत से लकड़ी आहार (आदिवासी टोला) तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.८५० मी० निर्माण हेतु रु० ६७.३१ लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि ५.३४ लाख अर्थात् कुल राशि ७२.६५ लाख (बहतर लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष २०१८—१९ एवं २०१९—२० में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड— ३७—४५१५००१०३०१०५ है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में ४५९.३१ करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के १० तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता—२, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना शीर्ष के अधीन स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०— मु० ३०-४ (मु०) राज्य योजना—०३-४७७ / २०१८ के प०० सं०-०४/टि० पर दिनांक २४.०९.२०१८ को किया गया।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या— सं०— मु० ३०-४ (मु०) राज्य योजना—०३-४७७ / २०१८ में पृष्ठ ०६/टि० पर दिनांक ०६.१०.१८ को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में जिहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

- ०
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक 30.05.18 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं0-मु0 अ0-4 (मु0) राज्य योजना-03-477/2018 के पृष्ठ संख्या- १० /टि० पर दिनांक-26.10.18 को प्राप्त है।
 12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, मुंगेर से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
 14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
 15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबाड़ से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबाड़ को भेजी जाये।

विश्वास्माजन

३१०/१८

(संजय कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0 अ0-4 (मु0) राज्य योजना-03-477/2018 ५०५८

/पटना, दिनांक-०१/११/१८

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५०५९

विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0 अ0-4 (मु0) राज्य योजना-03-477/2018 ५०५८ /पटना, दिनांक-०१/११/१८

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-2, पटना ग्रा० का० वि०/मु0 अ0-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, मुंगेर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबाड़, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचर्वी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१०/१८

विशेष सचिव

१